

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-ई-20/नर्सिंग/जेजेपी 213-21127/2023/581

दिनांक:- 24/6/23

**आदेश**

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीकर के आदेश क्रमांक संस्थापन/अराज/2019/1225 दिनांक 10.12.2019 के द्वारा श्रीमति कमला देवी म.स्वा.कार्यकर्ता खण्ड फतेहपुर की राज्य सेवा में रहते हुये दिनांक 08.11.2019 को मृत्यु होने पर इनका नाम राज्य सेवा से पृथक किया गया है, को एतद् द्वारा अनुमोदित किया जाता है ।

इनके विरुद्ध:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(सुरेश नवल)

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

दिनांक:- 24/6/23

क्रमांक:-ई-20/नर्सिंग/जेजेपी 213-21127/2023/581

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-उदयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर को उनके पत्र क्रमांक 610 दिनांक 08.06.23 के क्रम में ।
4. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फतेहपुरा सीकर ।
5. संबंधित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी ।
6. संबंधित कर्मचारी को द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
7. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
8. आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

Document certified by  
SURESH NAWAL sodd4ng@  
Digitally Signed by Suresh  
Kumar N  
Designation Director  
Date :22-08-2023 12:27:47